राजस्थान आवासन मण्डल

कोटा शहर की प्रतिष्ठित कालोनी विज्ञान नगर योजना में मोहरबंद प्रस्ताव द्वारा व्यवसायिक भूखण्डों की

भव्य नीलामी दिनांक : 18.2.2009

मुहरबंद प्रस्ताव का निर्धारित प्रपत्र

निविदा दाता का नाम.................. फोटो हस्ताक्षरित

पत्र व्यवहार का पता..................

दूरभाष..................

पेन (PAN) नं..................

भूखण्ड सं.

योजना का नाम

सेक्टर/जोन..................

भूखण्ड का साइज..................

प्रस्तावित बोली रु/वर्ग मी. ....

संलग्न राशि रुपये –

बैंक ड्राफ्ट सं. ....दिनांक ....

बैंक का नाम ....

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम व पता..................

भू. सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	न्यूनतम विक्रय दर (प्रति वर्ग मी.)	सैट बैक
1.	372.00	रू. 35000.00	सामने की ओर 6.00 मी.
2.	315.00	रू. 35000.00	साईड सेटबैक 3.00 मी.
3.	315.00	रू. 35000.00	पीछे की ओर 3.00 मी.

अधिकतम ऊँचाई – 12.50 मी. एफ.ए.आर. उपलब्धतानुसार

लिफाफे का निर्धारित प्रारूप

विज्ञापन में दर्शाई गई भूखण्ड की साईज ....

भूखण्ड का विवरण–योजना/सेक्टर..........

....

भूखण्ड सं. ....

निविदादाता का विवरण

नाम..................

पता..................

दूरभाष/मोबाईल नं. ....

श्रेणी–सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति

संलग्न राशि रू. ....

बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक..........

बैंक का नाम ....

मुहरबंद निविदा खोलने की निर्धारित तिथि–

मुख्य विशेषतायें: ♦झालावाड़ रोड (नेशनल हाइवे नं.12) पर स्थित ♦ पूर्ण विकसित एवं प्रतिष्ठित विज्ञान नगर योजना में स्थित। ♦ पूर्ण विकसित एवं प्रतिष्ठित तलवंडी के पास ♦बंसल क्लासेज के पास ♦ एयरपोर्ट के सामने।

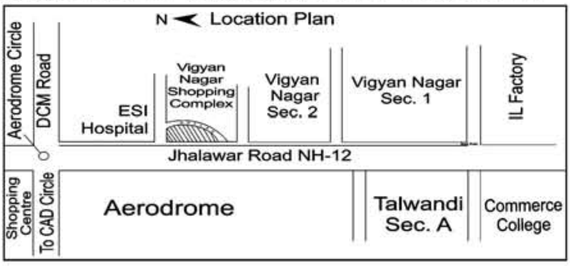

मुहरबंद प्रस्ताव की प्रक्रिया:– (1) नीलामी में भूखण्ड क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में भरकर (चपड़ी अथवा टेप द्वारा सीलबंद) लिफाफे में राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा के कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगें। लिफाफे में जिस भूखण्ड हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है उस भूखण्ड का विवरण निर्धारित प्रारूप में लिखना आवश्यक है। दोनो निर्धारित प्रारूप साथ में दर्शाए गऐ हैं। (2) बोलीदाता को प्रस्ताव के साथ राशि रूपये 15.00 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान आवासन मण्डल कोटा के पक्ष में देय संलग्न करना होगा। (3) निविदा प्रस्ताव में बोलीदाता अपना स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाए एवं पेन (PAN) नम्बर भी अंकित करना अनिवार्य है तथा पैन कार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न करे। (4) संस्था अथवा पार्टनरशिप फर्म के नाम से निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर संस्था/फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति के नाम जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। (5) निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जावेगें अन्यथा प्रस्ताव मान्य नही होंगें। (6) निर्धारित अवधि **(दिनांक 18.02.2009 अपरान्ह 2 बजे)** के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को खोला नही जावेगा एवं ऐसे सभी प्रस्ताव स्वतः निरस्त समझे जावेगें। (7) मुहरबंद निविदा खोलने की तिथि एवं समय **18.02.2009 दोपहर 2.30 बजे**। (8) प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा कोटा वृत कार्यालय में खोले जावेगें।

नीलामी की शर्तें:– (1) वांछित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव निरस्त समझे जावेगें। चाहे उनमें प्रस्तावित क्रय मुल्य अधिकतम ही क्यों न हो। (2) एकल निविदा को नही खोला जावेगा एवं स्वतः निरस्त समझा जावेगा। (3) सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त समझे जावेगें। (4) उच्चतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को प्रस्तावित क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत राशि (अमानत राशि को समायोति करते हुए) मौके पर जमा कराना होगा एवं 10 प्रतिशत राशि 24 घण्टे की अवधि में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी तथा शेष राशि को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करना होगा। आवंटन पत्र उच्चतम बोली की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जावेगा। पूर्व में जमा अमानत राशि अथवा अन्य अग्रिम रूप से जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। (5) निर्धारित अवधि में वांछित राशि जमा नही कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित पूर्व में जमा 15 प्रतिशत राशि जब्त करते हुए सम्बन्धित निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा। (6) किसी भी मोहरबंद प्रस्तावों/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में कोई वाद मान्य नही होगा। (7) आवंटन पत्र में स्वीकृत उच्चतम बोली की शेष 85 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियां (लीजमनी अन्य विधिव खर्चें आदि) की मांग की जावेगी तथा लीज आरक्षित दर की 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष दो किश्तों में (एक जनवरी एवं एक जुलाई) को जमा कराना होगा। (99 वर्ष तक) (8) भूखण्ड जहां है जैसा है आधार पर नीलाम किया जावेगा। भूखण्ड पर निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार/स्थानीय निकाय के नियमानुसार करना होगा। (9) यद्यपि भूखण्ड का माप नक्शे के अनुसार होगा परन्तु मौके पर उपलब्ध वास्तविक माप के आधार पर भूखण्ड की लागत वसूलनीय होगी।

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड–कोटा
फोन–0744–250911

निविदा प्राप्ति अधिकारी एवं सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल,
कोटा वृत कोटा,
फोन: 0744–250911,
फैक्स : 0744–250685